कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया
(जिला शस्त्र शाखा)
आदेश

श्रीमति श्वेता भारती, पति सुशान्त यादव, ग्राम+पो0–चुकती, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया के द्वारा अपने ससुर के नाम से धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–16/1985 (चौथम थाना) को रद्द करने एवं उस पर धारित शस्त्र को अपने नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–01/2019 (मानसी थाना) पर धारित करने का आदेश हेतु अनुरोध किया गया है। प्राप्त आवेदन के साथ उनके द्वारा अपने ससुर का शपथ–पत्र एवं आवेदन भी दाखिल किया गया है।

अतः जिला दण्डाधिकारी के द्वारा संचिका सं0–IV-1/2018 के टिप्पणी पृष्ट संख्या–9 पर दिये गये आदेश एवं शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 47 एवं आयुध नियमाावली के नियम 17 (3) के अधीन तथा गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6441, दिनांक 24.07.2018 के आलोक में श्री भरत कुमार यादव, पे0 स्व0 रामशरण यादव, साकिन–चुकती, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया के द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–16/1985 (चौथम थाना) को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उस पर धारित शस्त्र संख्या–AB-851136 (राईफल) को उनके पुत्रवधु श्रीमति श्वेता भारती, पति–सुशान्त यादव, साकिन–चुकती, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया के द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–01/2019 (मानसी थाना) पर हस्तान्तरित करने का आदेश दिया जाता है।

801 –

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया

ज्ञापांक IV-01/2018 461 **/जी0, दिनांक** 20/06/2019

प्रतिलिपि : श्रीमति श्वेता भारती, पति–सुशान्त यादव, साकिन–चुकती, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री भरत यादव पे0–स्व0 राम शरण यादव, साकिन–चुकती, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मानसी एवं चौथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी खगड़िया को संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया

D:\GENERAL SECTION\Niranjan Kumar\2019\SHASTRA\ Other Letter\Page-51